अति आवश्यक

डब्ल्यू-11044/02/2012-जल-II
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 18 मई, 2015

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जलापूर्ति के प्रभारी सचिव।

विषय: विभिन्न प्रकार की स्कीमों की लागत।

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं राज्य दर राज्य विभिन्न प्रकार की स्कीमों की लागत में भारी अंतर है। इसी संबंध में, मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की स्कीमों की वर्तमान लागत के विषय में जानने हेतु सूचना माँगी है ताकि निधियों की आवश्यकताओं आदि के आकलन के लिए उसका उपयोग किया जाए।

1. गहराई के स्लैब सहित गहरे ट्यूबवैल।
2. गहराई के स्लैब सहित कम गहरे ट्यूबवैल।
3. बसावट के भीतर/आस-पास एकल ग्राम स्कीम पर आधारित भू-जल स्रोत जो 5 कि.मी., 10 कि.मी. अथवा अधिक अंतराल पर स्थित हों।
4. बसावट के भीतर/आस-पास बहु-ग्राम स्कीम पर आधारित भू-जल स्रोत जो 5 कि.मी., 10 कि.मी. अथवा अधिक अंतराल पर स्थित हों।
5. बसावट के भीतर/आस-पास 5 कि.मी., 10 कि.मी., 15 कि.मी. अथवा अधिक अंतराल पर सतही बहु ग्राम स्कीम।
6. 15 कि.मी. अथवा अधिक (स्पष्ट करें) के भीतर सतही जल पर आधारित बल्क जलापूर्ति मेगा स्कीम।
7. स्थायी ढ़ाँचा – चैक डैम/बाँध/परकोलेशन टैंक आदि जैसे ढ़ाँचे (स्पष्ट करें) तथा उनकी लागतें।

उपयुक्त सूचना कृपया 19 मई, 2015 (3.00 अप्राह्न) तक निश्चित भेज दें।

भवदीय,

(डॉ दिनेश चंद)
अतिरिक्त सलाहकार (पीएचई)
टेलीफैक्स: 24366660
ई-मेल:d.chand@nic.in

प्रति:

मुख्य अभियंता, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जलापूर्ति।